समाहरणालय मुजफ्फरपुर
जिला गोपनीय प्रशाखा
****

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2017 को आयोजित जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थिति :: पंजी के अनुसार।

2. दिनांक 26.04.2017 को जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जिला कृषि टास्क फोर्स की विभागवार समीक्षा की गई । समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिये गये:–

3. कृषि :–

(i) जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना में अभी तक कुल 1 करोड़ 63 लाख की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है तथा लगभग 90.00 लाख रूपये का अनुदान किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई है। निदेश दिया गया कि यह जांच कर लिया जाए कि किसान डीलर के माध्यम से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र का क्रय किया है या स्वंय सम्पूर्ण राशि देकर क्रय किया गया है। यदि किसान सम्पूर्ण राशि देकर कृषि यंत्र का क्रय किया है तो अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिए अथवा डीलर के माध्यम से अनुदान पर क्रय किया है तो अनुदान की राशि डीलर को देय होना चाहिए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि इस संबंध में विभागीय प्रावधान के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी निदेश दिया गया कि यह जांच कर ली जाए कि अभी तक वास्तविक रूप से कितने राशि किसानों के खाते में अंतरित हो चुकी है तथा इस हेतु संबंधित बैंकों से अंतरण वितरणी प्राप्त कर लिया जाए। साथ ही साथ अभी तक कितने एडभाईस सृजित कर बैंकों को भेजा गया से संबंधित प्रतिवेदन भी तैयार कर उलपब्ध कराया जाए।

(क) निदेश दिया गया कि इस मद में अप्रैल, 2016 को रोकड़ पंजी के अनुसार शेष राशि कितनी थी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(ख) निदेश दिया गया कि गत वर्ष कृषि यंत्र के क्रय में पाई गई अनियमितता के विरूद्ध अभी तक क्या कार्रवाई की गई से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

(ii) रबी विपणन मौसम हेतु अनुदानित दर पर गेहूँ बीज वितरण योजना की प्रखण्डवार प्रगति के संबंध में पृच्छा किये जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रखण्डों से प्राप्त किसानों की सूची के आधार पर जिलास्तर पर राशि की निकासी करते हुए प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गई तथा संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के खाते से योग्य किसानों के खाते में अनुदान की राशि अंतरित कर दी

गई। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों के द्वारा बैंक में भेजे गये एडभाईस की छायाप्रति प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

बताया गया कि कुल 12309 क्विंटल अनुदानित दर पर गेहूँ की बीज का वितरण किया गया है। अनुदानित दर पर गेहूँ की बीज का वितरण का विभागीय निदेशानुसार रेण्डमली भौतिक जांच करना था, परन्तु समीक्षा में पाया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक भी किसानों का भौतिक जांच नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा विभागीय निदेशों का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया गया है तथा सिर्फ खानापूर्ति की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर इस सबंध में एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं करने के विरूद्ध विभाग को कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जाए।

(iii) रबी विपणन मौसम में जीरो टिलेज एवं गेहूँ बीज प्रत्यक्षण योजना के संबंध में प्रखण्डवार अद्यतन प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन उलपब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iv) गरमा फसल अन्तर्गत अनुदानित दर पर प्रमाणिक मूंग बीज वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड कृष्ज्ञि पदाधिकारी, किसान सलाहकार एवं प्रखण्ड समन्वयक के माध्यम से इसकी भौतिक जांच करा ली जाए कि किसानों के द्वारा खेतों में बीज लगाया गया है या नहीं। यह भी जांच करा ली जाए कि किसानों को अनुदान मिला या नहीं । जांच के क्रम कें यह भी देखा जाए कि किसानों को जो किट उपलब्ध कराया गया है उसमें सभी प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध थी या नहीं, सैम्पलिंग लैब से उसकी जांच की गई है या नहीं । तत्संबंधी प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(v) जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पक्का वर्मी कम्पोस्ट निर्माण योजना की प्रखण्डवार जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से स्थलीय जांच कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। इस संबंध में प्रखण्डवार डी0बी0टी0 की सूची भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जांच में यह भी देखा जाए कि किसानों को अनुदान की राशि प्राप्त हुई या नहीं।

(vi) खरीफ विपणन मौसम हेतु अनुदानित दर पर शंकर धान बीज वितरण एवं श्रीविधि से धान की खेती की प्रगति की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों के माध्यम से इस योजना से संबंधित एडभाईस की कॉपी एवं बैंक विवरणी दो दिनों के अन्दर प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(vii) जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए खरीफ विपणन फसल की अभी से तैयारियाँ प्रारंभ कर दी जाए।

4. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :–

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय निदेशानुसार खरीफ विपणन मौसम के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत लाभान्वित किसानों की रेण्डमी भौतिक जांच किया जाना है, परन्तु जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अभी तक इसका अनुपालन

नहीं कराया गया है। इस संबंध मे पृच्छा किये जाने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी जाँच कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि तीन दिनों के भीतर सभी का स्थलीय जांच करते हुए प्रतिवेदित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि आगामी सोमवार को जिला कृषि टॉस्क फोर्स की बैठक में उसका विधिवत अनुमोदन कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दी जाए।

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटनी प्रयोग के संबंध में पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी पंचायतों में शतप्रतिशत फसल कटनी हो चुका है। यह भी बताया गया कि 1888 फसल कटनी के विरूद्ध 1834 का अपलोड किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि दो दिनों के अन्दर सभी का अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार फसल कटनी प्रयोग की समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। यदि कहीं पर नहीं हुआ है तो उसका कारण भी बतायें।

(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2017–18 हेतु प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना की तैयारी हेतु संबंधित बीमा एजेंसी एवं बैंकर्स के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। यह भी निदेश दिया गया कि फसल कटनी, अगलगी आदि में किसानों को बीमा का लाभ मिला या नहीं इसकी जांच कर ली जाए।

(iv) रबी के मौसम में ओलावृष्टि के कारण, अगलगी के कारण खेतों तथा खलिहानों में फसल क्षति के विरूद्ध बीमित किसानों को बीमा का लाभ मिलने हेतु क्या कार्रवाई की गई है इसकी प्रखण्डवार जांच कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।

(v) खरीफ मौसम 2016–17 में फसल कटनी के आधार पर संबधित किसानों को लाभ दिया जाएगा या नहीं इसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।

(vi) जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खरीफ मौसम वर्ष 2017–18 के लिए अभी से अभियान चलाकर किसान सलाहकारों एवं प्रखण्ड समन्वयकों के माध्यम से किसानों से के0सी0सी0 हेतु आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए। इस हेतु प्रखण्डवार एवं पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित कर सभी को उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि 15 मई 2017 तक विधिवत आवेदन सृजित कराने की कार्रवाई की जाए।

(vii) जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सभी सहकारिता बैंकों का शाखावार जमा पूंजी की अद्यतन स्थिति से संबधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सहकारिता बैंक के द्वारा पिछले वर्ष कितने के0सी0सी0 किया गया तथा कितनों का नवीनीकरण किया गया से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। लोनी किसानों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए।

(**viii**) जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बीमा के इच्छुक किसानों का कृषि रालाहकारों, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड कृषि समन्व्यकों के माध्यम से 30 मई 2017 तक पंचायतवार सूची तैयार करा ली जाए।

(**xi**) जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खरीफ मौसम 2016–17 में एल0पी0सी0 में पाये गये अनियमितता के संबंध में वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए तत्संबंधी प्रस्ताव संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाए।

5. आत्मा, मुजफ्फरपुर :–

(**i**) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 746 लाख रूपये का प्रस्ताव बनाया गया है। सभी विभाग से स्थल से संबधित प्रतिवेदन की मांग की गई है।

(**ii**) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वर्ष 2017–18 हेतु कार्ययोजना बनाते हुए इसकी कमिटी की शीघ्र बैठक करा ली जाए।

(**iii**) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि नये तालाब निर्माण एवं पुराने तालाब के जीर्णोद्धार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निदेश दिया गया कि पुराने तालाबों की सूची सभी अंचलाधिकारियों एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों से शीघ्र प्राप् कर ली जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि मत्स्य विभाग अन्तर्गत जो तालाब हैं उसकी भी सूची पत्र के माध्यम से प्राप्त कर ली जाए। नये तालाब के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन तैयार कर उसकी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए।

(**iv**) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि गाडा के नहर परियोजना से किसानों के खतों में पानी पहुंचाने हेतु आवश्यकतानुसार चैनल का निर्माण कराना सुनिश्चित करायें।

(**v**) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि उबर–खाबर खेतों को समतलीकरण हेतु किसानों के खतों का चयन शीघ्र करवा ली जाए।

(**vi**) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर निदेश दिया गया भू–गर्भ जलस्तर को बढ़ाने हेतु रिचार्जबेल के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

6. उद्यान :–

(**i**) जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आम एवं लीची का लक्ष्य के अनुरूप पौधा का वितरण हो चुका है तथा अनुदान की राशि का किसानों के खाते में डी.बी.टी. करा दिया गया है।

(**ii**) बताया गया कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत कुल 43.00 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसको व्यय कर ली गई है।

(iii) बताया गया कि बी.आई.यू.सी. अन्तर्गत कुल 1 करोड़ 77 लाख रूपये का आंवटन विभाग से प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 1 करोड़ 15 लाख रूपये किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से अन्तरण करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि 15 मई तक सभी किसानों का भौतिक रूप से चेकलिस्ट के अनुसार जांच करते हुए शेष राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि डी.बी.टी. का साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

(iv) जिला उद्यान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 को स्थलीय जांच करते हुए कार्ययोजना तैयार कर तदनुसार अनुगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः 2455 /गो., दिनांकः 30/4/17

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, राजस्व/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, सहकारिता बैंक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।